

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of Article 72).

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।